सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2025/02

दर्ज तिथिः–25.03.2025

1. मोहम्मद कयूम भाटी पुत्र गुलाम हुसैन जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 06, मदीना मस्जिद के पास, चूरू (राज.)

.................अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत श्योपुरा, तहसील व जिला चूरू (राज)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

...................रेस्पोडेन्टान

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः– श्री हसन खां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज. भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.10.2025

1. यह कि आदेश जेर अपील दिनांक 22.10.2024 जिसके द्वारा विरासतन नामान्तरकरण निरस्त किया गया है। यह आदेश खिलाफ कानून विपरित तथ्यों एवं कानून के पारित किया गया होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि कृषि भूमि खेत खसरा नं. 370 तादादी 3.9330 हैक्ट. में से 1/8 हिस्सा वाके रोही ग्राम ढाणी लालसिंहपुरा पटवार मण्डल श्योपुरा तहसील व जिला चूरू में स्थित है, अपीलांट के नाना शुभान निवासी रतननगर से यह कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई हुई। अपीलांट की माता खातुन का देहान्त दिनांक 24.04.1994 चूरू में गया था। दिनांक 10.10.2024 को अपीलांट द्वारा अपनी माता खातुन का विरासतन इन्तकाल कृषि भूमि खसरा संख्या 370 रोही ग्राम ढाणी लालसिंहपुरा पटवार मण्डल श्योपुरा तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिये आवेदन किये जाने पर पटवार हल्का चूरू पटवारी ने वारिसों की जांच कर आवेदन–पत्र में दर्ज वारिसों को सही मानते हुए अपनी रिपोर्ट पटवार हल्का श्योपुरा पटवारी को सौंप दी थी जिसको पटवार हल्का पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड में उक्त विरासतन इंतकाल को दर्ज करते हुए इन्तकाल नम्बर 567 को ग्राम पंचायत श्योपुरा सरपंचत को दिनांक 22.10.2024 को प्रस्तुत किया।

बैठक दिनांक 22.10.20[illegible] नामान्तरण में वारिसों की सूची नहीं होने का एतराज दर्ज कर पटवारी हल्का [illegible] की जांच कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ता[illegible] में त्रुटिवश पुनः प्रस्तुत करने की जगह निरस्त बटन [illegible] उक्त इन्तकाल का दुबारा वारिसानों की जांच कर पुनः प्रस्तुत करने लिये आदेशित किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:12 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा पुनः पटवार हल्का चूरू पटवारी से वारिसानों की जांच करवाई जिसकी रिपोर्ट पटवार हल्का चूरू पटवारी ने पूर्व सभी वारिसान की नाम सही मानते हुए अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.12.2024 को पटवार हल्का ढाणीलालसिंहपुरा पटवारी को सौंप दी तथा पटवारी हल्का ढाणीलालसिंहपुरा द्वारा उक्त हल्का पटवारी चूरू द्वारा प्रमाणित किया गया वारिसनामा के आधार पर नामान्तरण का अमल दरामद किये जाने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत श्योपुरा तहसील व जिला चूरू को प्रेषित किया गया तब सरपंच ग्राम पंचायतद्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 22.10.2024 में नामान्तरण स्वीकृत किये जाने के लिये प्रक्रिया शुरू करते समय नामान्तरण स्वीकृत बटन क्लिक के बजाय निरस्त का बटन भूलवश क्लिक हो जाने के कारण नामान्तरण स्वीकृत के स्थान पर नामान्तरण निरस्त हो गया था तथा अपने पत्र क्र. संख्या 351 दिनांक 18.11.2024 में यह माना कि ग्राम पंचायत श्योपुरा की बैठक दिनांक 22.10.2024 को हुई जिसमें खसरा संख्या 370 रोही ढ़ाणी लालसिंहपुरा में खातुन पुत्री शुभान का विरासतन इन्तकाल संख्या 567 पटवारी हल्का श्योपुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया था लेकिन वारिसानों की सही जानकारी नहीं होने के कारण हमने उक्त इन्तकाल को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा परन्तु ऑनलाईन बटन में त्रुटिवश पुनः प्रस्तुत की जगह निरस्त बटन पर क्लिक हो गया था जबकि हमने उक्त इन्तकाल को दुबारा वारिसानों की जांच कर पुनः प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया था नामान्तरण निरस्त नहीं किया गया था उक्त नामान्तरण भूलवश गलत बटन क्लिक होने के कारण निरस्त हो गया किसी कानूनी खामी के कारण निरस्त नहीं हुआ है। इसलिए उक्त निरस्त नामान्तरण आदेश सक्षम न्यायालय से खारिज यि जाने पर ही ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण अमल दरामद किया जावेगा।

उक्त खसरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं होने के कारण अपीलान्ट अपनी विरासतन प्राप्त कृषि भूमि का स्वैच्छिक रूप से उपयोग उपभोग करने व सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है इसलिये अपीलान्ट के लिये नामान्तरण आदेश ग्राम पंचायत श्योपुरा दिनांक 22.10.2024 को निरस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने पर अपीलान्ट के सहखातेदारान को किसी प्रकार की कोई हानि अथवा नुकसान नहीं होगा तथा न ही सहखातेदारान के वास्तविक हिस्सा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अपीलांट के उकत नामानतरण के निरस्त किये जाने की जानकारी कृषि भूमि की जमांदी दिनांक 18.03.2025 को निकलवायी तथा अधिवक्ता को दिखाया तब मालूम हुआ कि अपीलांट के नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं किया जाकार नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किये जाने के आदेश फरमाये गये है की जानकारी सर्वप्रथम हुई। इसलिये अपील अपीलांट अन्दर मियाद है। अपील अपीलांट में कोई कानूनी खामी नहीं रहे इसलिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया जा रहा है।

वर्णित कृषि भूमि रोही ग्राम ढ़ाणी लालसिंहपुरा तहसील व जि चूरू में स्थित होने एवं जेर अपील नामान्तरण आदेश ग्राम पंचायत श्योपुरा द्वारा जारी किया गया होने से यह अपील सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय को हासिल रहा है तथा अपील हर प्रकार से अन्दर मियाद वाजिब न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान के समक्ष [illegible] है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम श्योपुरा का इंतकाल [illegible] संख्या 567 दिनांक 22.10.2024 निरस्त फरमाया पुनः विरास[illegible] जाने के आदेश फरमायें। श्रीमान् की बड़ी कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:12 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये गये जिस पर विधिवत तामील के बावजूद रेस्पोडेण्ट ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रत्यर्थी पर एकपक्षीय कार्यवाही होने पर वकील अपीलार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील अपीलार्थीगण की बहस सुनी गई।
3. वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि बैठक दिनांक 22.10.2024 ग्राम पंचायत श्योपुरा ने उक्त नामान्तरण में वारिसों की सूची नहीं होने का एतराज दर्ज कर पटवारी हल्का चूरू से वारिसों की जांच कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित किया गया परन्तु ऑनलाईन बटन में त्रुटिवश पुनः प्रस्तुत करने की जगह निरस्त बटन पर क्लिक हो गया एवं उक्त कथन का प्रार्थना–पत्र के संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र भी प्रस्तुत किया है।
4. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि अपीलार्थियों द्वारा यह अपील इस आधार पर दायर की गई कि ग्राम पंचायत श्योपुरा द्वारा नामान्तरण क्रमांक 567 दिनांक 22.10.2024 को बिना किसी विधिक कारण के केवल "बैठक दिनांक 22.10.2024 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया उक्त नामान्तरण में वारिसों की सूची सही नहीं होने के कारण पटवारी पुनः जांच कर वारिसों की जांच कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत करें" का हवाला देकर निरस्त कर दिया गया, जबकि ऐसा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि खसरा नं. 370 रकबा 3.9330 हैक्ट. में से 1/8 हिस्सा भूमि स्व. "खातुन पुत्री शुभान" के नाम खातेदारी में दर्ज थी। मृत्यु उपरान्त अपीलार्थियों द्वारा विरासत में नामान्तरण हेतु आवेदन क्रमांक 567 दिनांक 22.10.2024 प्रस्तुत किया गया। हल्का पटवारी द्वारा जांच कर मृत्यु प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करते हुए नामान्तरण हेतु उचित अनुशंसा की गई थी। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा वारिसों की जांच कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत का हवाला देते हुए नामान्तरण निरस्त कर दिया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य है।

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 22.10.2024 पर ग्राम पंचायत श्योपुरा की दिनांक–22.10.2024 की कार्यवाही विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध खारिज किये जाने के कारण नामान्तरण के उक्त निर्णय को खारिज कर अपील स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 22.10.2024 पर ग्राम पंचायत श्योपुरा की दिनांक–22.10.2024 की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर तहसीलदार चूरू इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर विधि संगत कार्यवाही करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार–1)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू